

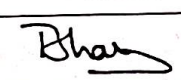
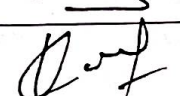
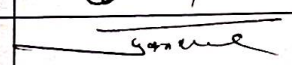
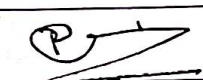
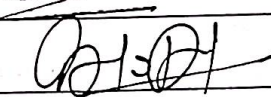
कार्यालय नगरपरिषद डूंगरपुर (राज.)

क्रमांक :- भूमि./न.प.डू./2025-26/2192

दिनांक :- 07/8/25

बैठक कार्यवाही विवरण

राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 90 क के अन्तर्गत कृषि भूमि से गैर कृषि उपयोग के अनुज्ञा और आवंटन नियम 12 एवं नगरीय विकास एवं आवासन विभाग जयपुर के पत्रांक प.3 (90) न.वि.वि./3/2012 दिनांक 21.06.2012 की पालना में कृषि से गैर कृषि प्रयोजनार्थ, आवासीय से वाणिज्यिक प्रकरणों के संबंध में नगरपरिषद कार्यालय में ले-आउट प्लान एवं अन्य भूखण्ड आवंटन के संबंध में कमेटी की बैठक दिनांक 06.08.2025 को दोपहर 03:00 बजे रखी गयी है। उक्त बैठक में निम्नानुसार पदाधिकारी/सदस्य उपस्थित रहे -

क्र.सं.	नाम	पद	हस्ताक्षर
1.	श्रीमान् अमृतलाल कलासुआ, सभापति महोदय नगरपरिषद डूंगरपुर।	अध्यक्ष	
2.	श्री प्रकाश डूडी, आयुक्त नगरपरिषद डूंगरपुर।	सदस्य सचिव	
3.	श्री भक्तेश पाटीदार, सहायक अभियंता नगरपरिषद डूंगरपुर।	'सदस्य'	
4.	श्रीमती कल्पना पाटीदार, वरिष्ठ प्रारूपकार, नगरपरिषद डूंगरपुर।	'सदस्य'	
5.	श्री प्रकाश महावर, कनिष्ठ अभियंता, नगरपरिषद डूंगरपुर।	'सदस्य'	
6.	श्री राजेन्द्रपाल सिंह राठौड, कनिष्ठ अभियंता, नगर परिषद डूंगरपुर।	'सदस्य'	
7.	श्री अजय परमार, कनिष्ठ लिपिक, नगर परिषद डूंगरपुर।	'सदस्य'	

उपरोक्तानुसार कोरम पूर्ण होने पर सभापति महोदय की अध्यक्षता में ले आउट प्लान कमेटी की बैठक प्रारम्भ हुई। समस्त सदस्य महानुभावों का स्वागत करते हुये नगरपरिषद डूंगरपुर को राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 90ए का ले-आउट प्लान अनुमोदन के लिए कार्यवाही प्रारम्भ की गई एवं अध्यक्ष महोदय के निर्देशानुसार वरिष्ठ नगर नियोजक कार्यालय उदयपुर से अनुमोदित प्लान की पत्रावलियां बैठक में प्रस्तुत हुई।

1. निम्न प्रकरण 90A की कार्यवाही के नियमन बाबत ले-आउट प्लान स्वीकृति संबंधी के निर्णय/अनुमोदन :-

1. भू-राजस्व अधिनियमन 1956 की धारा 90ए के अन्तर्गत श्री ककुआ पिता श्री कानजी, काउवा, गदुलाल, प्रभु व रामचन्द्र पिता लक्सी मीणा निवासी भाटपुर डूंगरपुर के द्वारा राजस्व ग्राम भाटपुर तहसील डूंगरपुर के खसरा नं. 296 रकबा 0.13 हेक्टेयर कृषि भूमि का आवासीय प्रयोजनार्थ ले आउट प्लान 90ए हेतु आवेदन पत्र कार्यालय में प्रस्तुत हुआ है। नियमानुसार उजरदारी सूचना, तहसील कार्यालय का प्रतिवेदन कार्यालय की तकनीकी राय आदि प्राप्त होने पर प्रकरण वरिष्ठ नगर नियोजक उदयपुर को पत्र प्रेषित करने

पर वरिष्ठ नगर नियोजक कार्यालय उदयपुर का पत्रांक 388 दिनांक 11.07.2025 से तकनीकी राय प्राप्त हुई है एवं कुल रकबा 0.13 हेक्टेयर में से कुल भूखण्ड क्षेत्र 13988 वर्गफीट में से आवासीय भूखण्ड साईज 8383 वर्गफीट भूमि का आवासीय प्रयोजनार्थ भू-उपयोग अनुमोदन हुआ है। नियमानुसार पत्र में वर्णित सभी शर्तें जो क्र.सं. 1 से 16 में अंकित हैं, संबंधित को सूचना पत्र, पट्टा विलेख आदि में अंकित कर पालना करवाते हुये ले आउट प्लान स्वीकृत किया जाता है। नियमानुसार भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 90ए के अन्तर्गत कार्यवाही की जावे।

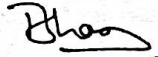
2. भू-राजस्व अधिनियमन 1956 की धारा 90ए के अन्तर्गत श्री सर्वश्री संजय पिता लाला भील निवासी नवलश्याम तहसील बिछीवाडा व जिला डूंगरपुर, ईटली पत्नि मोतीलाल भील निवासी नरणीया, पीयूष कुमार पिता अरविन्द भाई भील निवासी सांबरकाठा, अरविन्द भाई पिता सोमा भील निवासी सांबरकाठा तहसील भीलुडा गुजरात, श्रीमति कोमल पत्नि रोहित कलाल निवासी नरणीया, रितेश कलाल पिता पुरुषोत्तम कलाल निवासी दामडी, श्री विक्रम सिंह चौहान पिता श्री गटवर सिंह चौहान निवासी शिवाजी नगर तहसील व जिला डूंगरपुर व श्री निकुल कुमार पटेल पिता श्री अशोक भाई पटेल निवासी फलीयु दहेगामडा तहसील भीलुडा जिला अरवल्ली गुजरात के द्वारा राजस्व ग्राम शिवपुरा तहसील डूंगरपुर के खसरा नं. खसरा सं. 266/1 रकबा 0.04 है, 266/2 रकबा 0.10 है, 266/3 रकबा 0.04 है, 266/4 रकबा 0.04 है, 469/267 रकबा 0.01 है, 470/267 रकबा 0.04 है, 473/270 रकबा 0.03 है, 277/459 रकबा 0.08 है, 272 रकबा 0.11 है. मे से 0.04 है, 273 रकबा 0.02 है, 274 रकबा 0.02 है, 275/1 रकबा 0.11 है, 275/2 रकबा 0.08 है, 276/1 रकबा 0.18 है, 276/3 रकबा 0.03 है, 277 रकबा 0.11 है, 277/1 रकबा 0.11 है, 475/464 रकबा 0.08 है., 476/464 रकबा 0.08 है., 278/1 रकबा 0.05 है, 279 रकबा 0.15 है, 279/461 रकबा 0.12 है, 280 रकबा 0.04 है, 281 रकबा 0.02 है, 282 रकबा 0.15 है., 283 रकबा 0.07 है, 284 रकबा 0.05 मे से 0.028 है कुल रकबा 1.868 हेक्टेयर कृषि भूमि का आवासीय प्रयोजनार्थ ले आउट प्लान 90ए हेतु आवेदन पत्र कार्यालय में प्रस्तुत हुआ है। नियमानुसार उजरदारी सूचना, तहसील कार्यालय का प्रतिवेदन कार्यालय की तकनीकी राय आदि प्राप्त होने पर प्रकरण वरिष्ठ नगर नियोजक उदयपुर को पत्र प्रेषित करने पर वरिष्ठ नगर नियोजक कार्यालय उदयपुर का पत्रांक 406 दिनांक 16.07.2025 से तकनीकी राय प्राप्त हुई है एवं कुल रकबा 1.868 हेक्टेयर में से कुल भूखण्ड क्षेत्र 198012 वर्गफीट में से आवासीय भूखण्ड साईज 109428 वर्गफीट व इन्फॉर्मल कॉमर्शियल भूखण्ड साईज 4078 वर्गफीट भूमि का भू-उपयोग अनुमोदन हुआ है। नियमानुसार पत्र में वर्णित सभी शर्तें जो क्र.सं. 1 से 19 में अंकित है, संबंधित को सूचना पत्र, पट्टा विलेख आदि में अंकित कर पालना करवाते हुये ले आउट प्लान स्वीकृत किया जाता है। नियमानुसार भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 90ए के अन्तर्गत कार्यवाही की जावे।
 3. भू-राजस्व अधिनियमन 1956 की धारा 90ए के अन्तर्गत श्री पप्पू खराडी पिता श्री हाजा खराडी एवं श्री नारायण लाल बरण्डा निवासी मुकाम पोस्ट माडा तह. गामडी अहाडा जिला डूंगरपुर के द्वारा राजस्व ग्राम सियालदरी, बिलडी तहसील डूंगरपुर के खसरा नं. 630, 636, 637 रकबा 0.2100 हेक्टेयर एवं खसरा नं. 631 रकबा 0.0800 हेक्टेयर में से 30974.18 वर्गफीट कृषि भूमि का आवासीय प्रयोजनार्थ ले आउट प्लान 90ए हेतु आवेदन पत्र कार्यालय में प्रस्तुत हुआ है। नियमानुसार उजरदारी सूचना, तहसील कार्यालय का प्रतिवेदन कार्यालय की तकनीकी राय आदि प्राप्त होने पर प्रकरण वरिष्ठ नगर नियोजक उदयपुर को पत्र प्रेषित करने पर वरिष्ठ नगर नियोजक कार्यालय उदयपुर का पत्रांक 382 दिनांक 10.07.2025 से तकनीकी राय प्राप्त हुई है एवं कुल रकबा 0.2900 हेक्टेयर में से कुल भूखण्ड क्षेत्र 30821 वर्गफीट में से आवासीय भूखण्ड साईज 16489 वर्गफीट भूमि का आवासीय प्रयोजनार्थ भू-उपयोग अनुमोदन हुआ है। नियमानुसार पत्र में वर्णित सभी शर्तें जो क्र.सं. 1 से 17 में अंकित है, संबंधित को सूचना पत्र, पट्टा विलेख आदि में अंकित कर पालना करवाते हुये ले आउट प्लान स्वीकृत किया जाता है। नियमानुसार भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 90ए के अन्तर्गत कार्यवाही की जावे।
 4. भू-राजस्व अधिनियमन 1956 की धारा 90ए के अन्तर्गत श्री हेमन्त भाई पिता श्री मंगला भाई भगोरा निवासी किशनगढ जिला साबरकाठा गुजरात के द्वारा राजस्व ग्राम पातापुर तहसील डूंगरपुर के खसरा नं. 100 रकबा 0.03 हेक्टेयर, 101 रकबा 0.02 हेक्टेयर, 97 रकबा 0.10 हेक्टेयर, 98 रकबा 0.02 हेक्टेयर, 99 रकबा 0.03 हेक्टेयर कुल रकबा 0.20 हेक्टेयर कृषि भूमि का आवासीय प्रयोजनार्थ ले आउट प्लान 90ए हेतु आवेदन पत्र कार्यालय में प्रस्तुत हुआ है। नियमानुसार उजरदारी सूचना, तहसील कार्यालय का प्रतिवेदन कार्यालय की तकनीकी राय आदि प्राप्त होने पर प्रकरण वरिष्ठ नगर नियोजक उदयपुर को पत्र प्रेषित करने पर वरिष्ठ नगर नियोजक कार्यालय उदयपुर का पत्रांक 407 दिनांक 16.07.2025 से तकनीकी राय प्राप्त हुई है एवं कुल रकबा 0.20 हेक्टेयर में से कुल आवासीय भूखण्ड साईज 21520 वर्गफीट भूमि का आवासीय प्रयोजनार्थ भू-उपयोग अनुमोदन हुआ है। नियमानुसार पत्र में वर्णित सभी शर्तें जो क्र.सं. 1 से 18 में अंकित है, संबंधित को सूचना पत्र, पट्टा विलेख आदि में अंकित कर पालना करवाते हुये ले आउट प्लान स्वीकृत किया जाता है। नियमानुसार भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 90ए के अन्तर्गत कार्यवाही की जावे।
 5. भू-राजस्व अधिनियमन 1956 की धारा 90ए के अन्तर्गत श्री कालुराम पिता श्री अबजी अहारी निवासी खीरखाईया तहसील सीमलवाडा जिला डूंगरपुर के द्वारा राजस्व ग्राम डूंगरपुर तहसील डूंगरपुर के खसरा नं. 674 (नवीन खसरा नं. 730) रकबा 0.0404 हेक्टेयर में से 1300 वर्गफीट एवं 673 (नवीन 729) रकबा 0.0567 हेक्टेयर में से 200 वर्गफीट कुल रकबा 1500 वर्गफीट कृषि भूमि का आवासीय प्रयोजनार्थ ले आउट प्लान 90ए हेतु आवेदन पत्र कार्यालय में प्रस्तुत हुआ है। नियमानुसार उजरदारी सूचना, तहसील कार्यालय का प्रतिवेदन कार्यालय की तकनीकी राय आदि प्राप्त होने पर प्रकरण वरिष्ठ नगर नियोजक उदयपुर को पत्र प्रेषित करने पर वरिष्ठ नगर नियोजक कार्यालय उदयपुर का

पत्रांक 405 दिनांक 15.07.2025 से तकनीकी राय प्राप्त हुई है एवं कुल रकबा 0.0139 हेक्टेयर में भूखण्ड साईज 1495.64 वर्गफीट में से आवासीय भूखण्ड साईज 864 वर्गफीट भूमि का आवासीय प्रयोजनार्थ भू-उपयोग अनुमोदन हुआ है। नियमानुसार पत्र में वर्णित सभी शर्तें जो क्र.सं. 1 से 16 में अंकित है, संबंधित को सूचना पत्र, पट्टा विलेख आदि में अंकित कर पालना करवाते हुये ले आउट प्लान स्वीकृत किया जाता है। नियमानुसार भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 90ए के अन्तर्गत कार्यवाही की जावें।

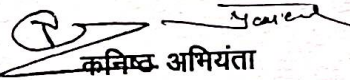
6. भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 90ए के अन्तर्गत श्रीमती हेमलता दर्जी पत्नी श्री भंवरलाल दर्जी निवासी सोनिया चौक डूंगरपुर के द्वारा राजस्व ग्राम चक डूंगरपुर तहसील डूंगरपुर के खसरा नं. 9/22 (नवीन खसरा नं. 15) रकबा 10 बिस्वा में से $25 \times 60 = 1500$ वर्गफीट कृषि भूमि का आवासीय प्रयोजनार्थ ले आउट प्लान 90ए हेतु आवेदन पत्र कार्यालय में प्रस्तुत हुआ है। नियमानुसार उजरदारी सूचना, तहसील कार्यालय का प्रतिवेदन कार्यालय की तकनीकी राय आदि प्राप्त होने पर प्रकरण वरिष्ठ नगर नियोजक उदयपुर को पत्र प्रेषित करने पर वरिष्ठ नगर नियोजक कार्यालय उदयपुर का पत्रांक 354 दिनांक 02.07.2025 से तकनीकी राय प्राप्त हुई है एवं कुल रकबा 0.0139 हेक्टेयर में भूखण्ड साईज 1495.64 वर्गफीट में से आवासीय भूखण्ड साईज 1362.5 वर्गफीट भूमि का आवासीय प्रयोजनार्थ भू-उपयोग अनुमोदन हुआ है। नियमानुसार पत्र में वर्णित सभी शर्तें जो क्र.सं. 1 से 16 में अंकित है, संबंधित को सूचना पत्र, पट्टा विलेख आदि में अंकित कर पालना करवाते हुये ले आउट प्लान स्वीकृत किया जाता है। नियमानुसार भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 90ए के अन्तर्गत कार्यवाही की जावें।

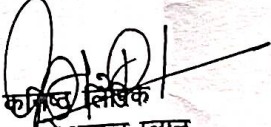

सभापति
नगरपरिषद डूंगरपुर (राज.)


आयुक्त
नगरपरिषद डूंगरपुर (राज.)


सहायक अभियंता
सदस्य लेआउट प्लान
नगरपरिषद डूंगरपुर (राज.)


वरिष्ठ प्रारूपकार
नगरपरिषद डूंगरपुर (राज.)


कनिष्ठ अभियंता
सदस्य लेआउट प्लान
नगरपरिषद डूंगरपुर (राज.)


कनिष्ठ लिपिक
सदस्य लेआउट प्लान
नगरपरिषद डूंगरपुर (राज.)

दिनांक :- 07/8/25

क्रमांक :- भूमि./न.प.डू./2025-26/2192-99
प्रतिलिपि :-

1. श्रीमान् अमृतलाल कलासुआ, सभापति महोदय, नगर परिषद डूंगरपुर।
2. श्री प्रकाश डूडी, आयुक्त नगर परिषद डूंगरपुर।
3. श्री भक्तेश पाटीदार सहायक अभियंता, नगर परिषद डूंगरपुर।
4. श्रीमती कल्पना पाटीदार, वरिष्ठ प्रारूपकार नगर परिषद डूंगरपुर।
5. श्री प्रकाश महावर, कनिष्ठ अभियंता नगर परिषद डूंगरपुर।
6. श्री राजेन्द्रपाल सिंह राठौड, कनिष्ठ अभियंता नगर परिषद डूंगरपुर।
7. श्री अजय परमार, कनिष्ठ लिपिक, नगर परिषद डूंगरपुर।
8. रक्षित पत्रावली।


आयुक्त
नगरपरिषद डूंगरपुर (राज.)

राजस्थान सरकार
नगर नियोजन विभाग

कार्यालय वरिष्ठ नगर नियोजक, उदयपुर जोन, उदयपुर

1-मोती मगरी स्कीम, सहेली मार्ग, उदयपुर-313004, Phone no. 0294-2418225 Office e-mail : stp.udpr-rj@gov.in

क्रमांक : यूडीआर/1628/डूंगरपुर/ 388

दिनांक:- 11/7/25

आयुक्त,
नगर परिषद
डूंगरपुर।

विषय:- प्रार्थी श्री ककुआ पिता श्री कानजी, श्री काउवा पुत्र श्री लक्सी, श्री गटुलाल, श्री प्रभु व श्री रामचन्द्र पुत्र श्री लक्सी मीणा द्वारा राजस्व ग्राम भाटपुर के खसरा नं. 296 रकबा 0.13 हैक्टेयर कृषि भूमि का आवासीय प्रयोजनार्थ तकनीकी राय बाबत।

उपरोक्त विषयान्तर्गत द्वारा प्रार्थी श्री ककुआ पुत्र श्री कानजी, श्री काउवा पुत्र श्री लक्सी, श्री गटुलाल, श्री प्रभु व श्री रामचन्द्र पुत्र श्री लक्सी मीणा द्वारा राजस्व ग्राम भाटपुर के खसरा नं. 296 रकबा 0.13 हैक्टेयर कृषि भूमि के आवासीय प्रयोजनार्थ सम्परिवर्तन के प्रकरण के तकनीकी बिन्दु निम्नानुसार है :-

1. आवेदित भूमि डूंगरपुर मास्टर प्लान के भू-उपयोग योजना मानचित्र-2031 के अनुसार आवासीय प्रयोजनार्थ आरक्षित है।
2. आवेदित भूमि को उत्तर-पूर्व दिशा में पूर्व रूपान्तरित योजना से 30 फीट सड़क का पहुँच मार्ग प्राप्त होता है।
3. प्रस्तावित संशोधित योजना के उपयोग अनुसार क्षेत्रफल गणना निम्नानुसार है :-

क्र.स.	उपयोग	क्षेत्रफल (वर्गफीट)	प्रतिशत
1	आवासीय	8383	59.92
2	सुविधा क्षेत्र	373	2.66
3	सड़क	5232	37.42
4	कुल क्षेत्रफल	13988	100

उपरोक्त बिन्दु सं. 1 से 3 के क्रम में आवेदित भूमि का आवासीय प्रयोजनार्थ संलग्न संशोधित प्लान में (ए. से डी. चिह्नित) दर्शायेनुसार अनुमोदन निम्न शर्तों के अध्याधीन राज्य सरकार द्वारा गठित सक्षम ले-आऊट प्लान समिति की बैठक में रखकर निर्णय लिया जाना उचित होगा :-

- i. भूमि के अवाप्ति, स्वामित्व, किस्म, राजस्व सीमा, विधिक स्थिति, मौके पर उपलब्ध क्षेत्रफल बाबत जांच आपके स्तर से जावें साथ ही नगरीय विकास विभाग के पहुँच मार्ग (सम्पर्क सड़क) के प्रचलित परिपत्रों को मध्यनजर रखने के पश्चात् ही सम्परिवर्तन की कार्यवाही की जावें।
- ii. आवेदित भूमि की खसरा सीमाओं का राजस्व रिकॉर्ड अनुसार संबंधित राजस्व अधिकारी द्वारा सीमांकन व प्रमाणिकरण पश्चात संलग्न योजना मानचित्रानुसार डिर्माकेशन उपरान्त मौके पर उपलब्ध क्षेत्रफल, जो भी कम हो, का ही पट्टा विलेख किया जावें।
- iii. आवेदित भूमि के उत्तर-पूर्व दिशा से 30 फीट का पहुँच मार्ग छुड़वाया जाना सुनिश्चित करावे तथा उक्त सड़क के मार्गाधिकार में आने वाली प्रार्थी की भूमि निशुल्क समर्पित करवाई जाकर नगर परिषद द्वारा कब्जा प्राप्त किया जावे।
- iv. योजना से जनित होने वाले दूषित जल की निकासी के उपयुक्त अधोसंरचानों का निर्माण होने के उपरान्त ही पट्टा विलेख जारी किया जावे, यह आपके स्तर से सुनिश्चित किया जावे।

Signature valid

Digitally signed by Arvind Singh Kanawat
Designation : Senior Town Planner
Date: 2025.07.11 13:52:11 IST
Reason: Approved



- v. आवेदित योजना का क्षेत्रफल 2 हैक्टेयर से कम है। अतः मुख्यमंत्री जन आवास योजना 2015 के प्रावधान 1 ए अनुसार ई.डब्ल्यू.एस/एल.आई.जी आवासों के एवज में विकासकर्ता से नियमानुसार विक्रय योग्य क्षेत्रफल के 10 प्रतिशत के समतुल्य राशि ली जानी सुनिश्चित करावें।
- vi. योजना में प्रस्तावित सुविधा क्षेत्र हेतु चिन्हित भूमि छुडवाई जानी सुनिश्चित करावें।
- vii. नगर परिषद उक्त योजना में सड़क, पानी, बिजली, इत्यादि आंतरिक सुविधाओं की सुनिश्चिता भी आवेदक से करवाने हेतु राजस्थान टाउनशिप पॉलिसी-2010 में उल्लेखानुसार 12.5 प्रतिशत भूखण्डों के पट्टे रहन में रखावें।
- viii. प्रचलित भवन विनियम के समस्त प्रावधानों की पालना करवाते हुये भवन निर्माण स्वीकृति नगर परिषद द्वारा ली जानी होगी।
- ix. विद्युत लाईन के सम्बंध में भारतीय विद्युत नियम 1956 व राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों/परिपत्रों के अनुसार सुरक्षात्मक दूरी रखते हुए कार्यवाही की जावें एवं इसके नियम 79 व 80 के अन्तर्गत प्रतिबंधित भूमि अथवा भवन का संपरिवर्तन नहीं किया जावे।
- x. आवेदित भूमि के जल बहाव, भराव व डूब क्षेत्र से प्रभावित होने अथवा नहीं होने आदि की जांच तथा राज्य सरकार द्वारा समय पर जारी आदेशों/परिपत्रों/दिशा निर्देशों के परिपेक्ष्य में प्रकरण की जांच स्थानीय निकाय स्तर के सक्षम अधिकारी द्वारा की जानी अपेक्षित है।
- xi. स्थानीय निकाय द्वारा यह सुनिश्चित किया जावे कि आवेदित खसरा भूमि नगर परिषद/आवासन मण्डल या किसी अन्य योजना का भाग नहीं हो।
- xii. राजस्थान टाउनशिप पॉलिसी-2010 व मुख्यमंत्री जन आवास योजना-2015 के विभिन्न प्रावधानों व इसके संबंध में राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी अधिसूचनाओं/आदेशों/परिपत्रों/निर्देशों/दिशा निर्देशों के समस्त प्रावधानों की पालना सुनिश्चित की जानी होगी।
- xiii. ऑयल कम्पनियों के भण्डारण डीपो की सीमाओं से नियमानुसार सुरक्षात्मक दूरी तक सम्परिवर्तन नहीं किया जावे तथा भूमिगत ऑयल/गैस पाईप लाईन से नियमानुसार सुरक्षात्मक दूरी छुडवाई जाना सुनिश्चित करावें।
- xiv. मोके पर स्वीकृत प्लान एवं पूर्व में समीपीय भूमि के स्वीकृत प्लान में छुडवाई गई सड़को का आपस में मौके पर एक दूसरे से लिंक हो इसकी सुनिश्चितता आप अपने स्तर पर करावें।
- xv. राजस्थान सरकार द्वारा समय-समय पर जारी अधिसूचनाओं/आदेशों/परिपत्रों/निर्देशों/नियमों आदि की पालना सुनिश्चित करवाते हुए यह भी सुनिश्चित करावें कि माननीय न्यायालयों के आदेशों की अवहेलना नहीं हो।
- xvi. आवेदित भूमि के ले-आउट प्लान अनुमोदन के संबंध में यदि किसी आवश्यक तथ्य को छुपाया गया/गलत पाया जाने पर इस कार्यालय की तकनीकी राय स्वतः ही निरस्त मानी जावें।

संलग्न: उपरोक्तानुसार

Signature valid

Digitally signed by Arvind Singh
Kanawat
Designation : Senior Town Planner
Date: 2025.07.11 13:52:11 IST
Reason: Approved



कार्यालय नगरपरिषद् डूंगरपुर (राज.)

(का) :- 02964-232459, फ़ैक्स :- 02964-233690, Email Id:- npd.dpr@gmail.com

क्रमांक :- एफ/भूमि/न.प.डू./2025-26/4803

दिनांक :- 22/1/26

-:- प्रमाण पत्र -:-

सर्वश्री ककुआ पिता कानजी, काउवा, गटुलाल, प्रभु व रामचन्द्र पिता लक्सी मीणा निवासी भाटपुर तहसील व जिला डूंगरपुर।

विषय :- प्रमाण पत्र चाहने बाबत।

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि आपके द्वारा रहन रखे गये भूखण्ड की जानकारी हेतु प्रमाण पत्र चाहा गया है। इस संबंध में लेख है कि आपके द्वारा मौजा भाटपुर के खसरा नं. 296 रकबा 0.13 हेक्टेयर भूमि का कृषि से अकृषि प्रयोजनार्थ हेतु आवेदन प्राप्त हुआ है। नियमानुसार कार्यवाही होने पर कुल भूखण्ड क्षेत्रफल 13988 वर्गफीट में से आवासीय भूखण्ड साईज 8383 वर्गफीट भूमि का आवासीय प्रयोजनार्थ ले आउट प्लान अनुमोदन कार्यालय वरिष्ठ नगर नियोजक, उदयपुर जोन उदयपुर का पत्रांक यूडीआर/1628/डूंगरपुर/388 दिनांक 11.07.2025 के अनुसार हो चूका है एवं नगर परिषद की एम्पावर्ड कमेटी की बैठक दिनांक 06.08.2025 के क्रम संख्या 1 के अनुसार अनुशंषा हो चुकी है तथा 12.5 प्रतिशत रहन भूमि के अतर्गत आप द्वारा भूखण्ड संख्या 1 कुल साईज 1259 वर्गफीट रहन रखा गया है जिसका प्रमाण पत्र जारी किया जाता है।


आयुक्त
नगरपरिषद् डूंगरपुर (राज.)
नगर परिषद, डूंगरपुर (राज.)

